संख्या-20 /2025 /842/सत्रह-म-2025-17-1099/126/2023

प्रेषक

अमित कुमार घोष,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 04 जुलाई , 2025

विषय- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-22/2024/ 637/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनांक 11 जुलाई-2024 के मार्ग-निर्देश में संशोधन किये जाने के समबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 251/नि0शा0//2025-26 दिनांक 28 मई , 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके माध्यम से सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-22/2024/637/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनांक 11 जुलाई-2024 के मार्ग-निर्देश के प्रस्तर-2(5) में सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम के इकाई लागत में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अधिक संख्या में एरेशन सिस्टम की स्थापना से वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-22/2024/637/सत्रह-म-2024-17- 1099/ 126/2023 दिनांक 11 जुलाई-2024 के मार्ग-निर्देश के प्रस्तर-2(5) में सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम के इकाई लागत में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है-

पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(5) इकाई लागत व फण्डिंग पैटर्नः- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना शत-प्रतिशत राज्यपोषित परियोजना है। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे0 के तालाब में 2 हार्स पावर के एक क्याड पैडिल व्हील एरेटर एवं 1.00 हे0 या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरेटर पर एक लाभार्थी	**(5) इकाई लागत व फण्डिंग पैटर्नः-** सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना शत-प्रतिशत राज्यपोषित परियोजना है। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे0 के तालाब में 2 हार्स पावर के एक क्याड पैडिल व्हील एरेटर एवं 1.00 हे0 या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरेटर पर एक लाभार्थी अनुदान प्राप्त कर सकता है। **एरेटर सिस्टम की प्रति**

अनुदान प्राप्त कर सकता है। एरेटर सिस्टम की प्रति इकाई लागतं रु0.0.75 लाख होगी जिसमे लाभार्थी अंश का धनराशि (सामान्य महिला मत्स्य पालंक द्वारा योजना की इकाई लागत का 50% तथा अनुसूचित जाति महिला मत्स्य पालक द्वारा 40% धनराशि) लाभार्थी स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण लेकर वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत सामान्य महिला मत्स्य पालक को परियोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अर्थात ₹ 0.375 लाख प्रति इकाई सामान्य महिला मत्स्य पालक को एवं अनुसूचित जाति के महिला मत्स्य पालक को 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा। परियोजना का फन्डिंग पैटर्न निमन्वत है:

इकाई लागतं रु0 0.50 लाख होगी जिसमे लाभार्थी अंश का धनराशि (सामान्य महिला मत्स्य पालंक द्वारा योजना की इकाई लागत का 50% तथा अनुसूचित जाति महिला मत्स्य पालक द्वारा 40% धनराशि) लाभार्थी स्वयं के संसाधन से अथवा बैंक ऋण लेकर वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत सामान्य महिला मत्स्य पालक को परियोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान की **धनराशि अर्थात ₹ 0.25 लाख प्रति इकाई** सामान्य महिला मत्स्य पालक को एवं अनुसूचित जाति के महिला मत्स्य पालक को 60 प्रतिशत अनुदान **अर्थात ₹ 0.30 लाख प्रतिं इकाई देय होगा।** परियोजना का फन्डिंग पैटर्न निमन्वत है:

धनराशि ₹ लाख में							धनराशि ₹ लाख में						
क्रं	मद	लाभार्थी वर्ग	इकाई लागत	अनुदान प्रतिशत	लाभार्थी अंश	अनुदान धनराशि	क्रं	मद	लाभार्थी वर्ग	इकाई लागत	अनुदान प्रतिशत	लाभार्थी अंश	अनुदान धनराशि
1	सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला मत्स्य पालक	0.75	50	0.375	0.375	1	सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला मत्स्य पालक	0.50	50	0.25	0.25
		अनुसूचित जाति वर्ग की महिला मत्स्य पालक	0.75	60	0.30	0.45			अनुसूचित जाति वर्ग की महिला मत्स्य पालक	0.50	60	0.20	0.30
2	प्रशासनिक व्यय (योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवन हेतु) @2%	जनपदीय एवं मंडलीय कार्यालय तथा निदेशालय हेतु		100		0.015	2	प्रशासनिक व्यय (योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवन हेतु)@2%	जनपदीय एवं मंडलीय कार्यालय तथा निदेशालय हेतु		100	0.005	0.005

अतएव इस समबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ''सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना'' के संचालन हेतु उपर्युक्त संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
AMIT KUMAR GHOSH
Date: 03-07-2025
16:06:10

(अमित कुमार घोष)
प्रमुख सचिव।

20/2025/842
संख्या / सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
10. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।